RAJYA SABHA

Thursday, the 16th March, 2000/ 26 Phalguna, 1921 (Saka) The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow the passing away of Shri J.S. Raju, a former Member of this House, at the age of 65, in the early morning of 15th March, 2000. Born at Thirumanthurai in Tamil Nadu, in November, 1935, Shri Raju was educated at Perambalur and Trichy. An agriculturist by profession, Shri Raju started his career as a teacher. He was associated with several social welfare organisations.

Shri Raju started his legislative career as a Member of the Tamil Nadu Legislative Assembly and was a Member in 1967 and re-elected again in 1971 and 1980. He represented the State of Tamil Nadu in the Rajya Sabha from July, 1989 to July, 1995. During his tenure, he took keen interest in the deliberations of the House. He had a number of publications to his credit.

We deeply mourn the passing away of Shri J.S. Raju.

I request the Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed soul.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the Members of the bereaved family our deep sense of sorrow and sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवा

*301. **श्री कपिल सिब्बल** : †
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया हैं;

† सभा में यह प्रश्न श्री कपिल सिब्बल द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि हां, तो एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रो में रहने वाले बेरोजगार युवाओं की राज्य-वार तथा जिला-वार संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या यह संख्या गत एक दशक के दौरान कम हुई हैं या बढ़ी हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे बेरोजगार युवाओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर का कोई आकलन किया हैं और यदि हां, तो गत एक दशक में यह वार्षिक दर क्या रही है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया हैं।

विवरण

(क) से (घ) 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रोजगार कार्यालयों में शहरी क्षेत्रों से संबंधित रोजगार चाहने वालों (यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों) की संख्या संलग्न सूची में दर्शायी गयी हैं (नीचे देखिए)। जिला वार सूचना नहीं रखी जाती।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 1990 में 163.3 लाख थी जो दिसम्बर 1999 के अंत में बढ़ कर 180.5 लाख हो गई। 1990-99 की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग एक प्रतिशत थी।

31.12.1999 **की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों की संख्या को दर्शाने वाली सूची**

राज्य/संघ शासित प्रदेश	(हजार में)
1. आन्ध्र प्रदेश	1327.2
2. अरूणाचल प्रदेश	15.4
3. असम	613.6
4. बिहार	1316.3
5. गोवा	33.5
6. गुजरात	456.4
7. हरियाणा	303.2
8. हिमाचल प्रदेश	113.4
9. जम्मू और कश्मीर	87.8
10. कर्नाटक	1017.5
11. केरल	860.6

राज्य/संघ शासित प्रदेश	(हजार में)
12. मध्य प्रदेश	1255.6
13. महाराष्ट्र	2164.9
14. मणिपुर	220.8
15. मेघालय	24.7
16. मिजोरम	80.5
17. नागालैण्ड	28.3
18. उड़ीसा	323.1
19. पंजाब	262.0
20. राजस्थान	463.3
21. सिक्किम	
22. तमिलनाडु	2093.2
23. त्रिपुरा	150.0
24. उत्तर प्रदेश	1298.6
25. पश्चिम बंगाल संघ शासित प्रदेश	2504.4
26. अं. और नि. द्वीप समूह	27.8
27. चण्डीगढ	92.8
28. दादर और नगर हवेली	-
29.दिल्ली	747.6
30. दमन और दीप	4.1
31. लक्षद्वीप	-
32. पाण्डिचेरी	106.8
योग	18047.5

टिप्पणी :- * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।
हो सकता हैं पूर्णाकों के कारण आंकड़े मेल न खाएं।

Unemployed youth in urban areas

†*301. SHRI KAPIL SIBAL:††
SHRI JANESHWAR MISRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

tOriginal notice of the question was received in Hindi.
ttThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Sibal.

(a) whether Government have made any assessment regarding the number of unemployed youth in the urban areas;

(b) if so, what is the number of unemployed youth living in urban areas of the country, as per the information so collected. State-wise and district-wise;

(c) whether this number has increased or decreased during last decade; and

(d) whether Government have made any assessment regarding annual rate of increase in the number of these unemployed youth and if so, what has been this annual rate in the last one decade?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

(a) to (d) As per the information received from State/Union Territory Governments, the number of job seekers (all of whom are not necessarily unemployed), belonging to the urban areas, registered with the Employment Exchanges in various States and Union Territories as on 31.12.1999 is as given in the Statement. District-wise information is not maintained.

The number of job seekers from the urban areas, which was of the order of 163.3 lakh in 1990, has gone up to 180.5 lakh at the end of December 1999. It may, therefore, be seen that average annual increase in the number of job seekers from urban area was of the order to 1.0% during the period 1990—99.

Statement

Number of lOB-Seekers belowing to Urban Areas on the Live Register of Employment Exchange as on 31.12.1999

	State/Union Territories	Number in Thousands
1.	Andhra Pradesh	1327.2
2.	Arunachal Pradesh	15.4
3.	Assam	613.6
4.	Bihar	1316.3
5.	Goa	33.5
6.	Gujarat	456.4
7.	Haryana	303.2
8.	Himachal Pradesh	113.4
9.	Jammu & Kashmir	87.8
10.	Karnataka	1071.5

	State/Union Territories	Number in Thousands
11.	Kerala	860.6
12.	Madhya Pradesh	1255.6
13.	Maharashtra	2164.9
14.	Manipur	220.8
15.	Meghalaya	12.7
16.	Mizoram	16.5
17.	Nagaland	28.3
18.	Orissa	323.1
19.	Punjab	262.0
20.	Rajasthan	463.3
21.	Sikkim	—
22.	Tamil Nadu	2093.2
23.	Tripura	150.0
24.	Uttar Pradesh	1298.6
25.	West Bengal *Union*	2504.4
	Territories	
26.	Andaman & Nicobar Islands	27.8
27.	Chandigarh	92.8
*28.	Dadra & Nagar Haveli	—
29.	Delhi	747.6
30.	Damand & Diu	4.1
31.	Lakshadweep	—
32.	Pondicherry	106.8
		TOTAL 18047.5

Note:— *No Employment Exchange is functioning in this State.
Figures may not add up to total due to rounding off.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, I am extremely surprise because what the Government has done in this particular case it, it has given the figures of the numbers registered in the employment exchanges throughout the country. The question was, what was the Government assessment of the number of unemployed youth in the urban areas of this country. Now, obviously, you have not made any assessment. The Government should know this. Had I wanted the number registered in the employment exchanges, I would have formulated my question in that particular fashion. What are the figures that you give me? You said that the total number in the live registers, throughout

the States, as of 1999, is 1.80 crores and in 1990, it was 1.60 crores, of the total population. You know very well that in a hundred-crore population, this figure that is registered in the employment exchange registers does not reflect the reality. Most people do not even know what an employment exchange registers is. What is it that you are trying to do? The Minister, at least, must help us. At least, tell the people of this country what the problem is. If you are going to duck the problem like this, how are we going to have a discussion in this House? So, kindly, first tell us whether you have made any assessment of the number of unemployed youth in the urban areas in this country, apart from what you have stated in you reply. Please clarify this.

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा था कि कुल रोजगार का परिदृश्य क्या हैं। इस बारे में जानकारी वह चाहते थे। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं सराकरी जानकारी का संकलन करने के लिए रोजगार कार्यालय हैं, यह एक मानक व्यवस्था उपलब्ध हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए काफी ऐवेन्यूज खुल गए हैं जैसे बैकिंग, रेलवेज या केन्द्रीय सरकार की अन्य सेवाएं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भर्ती हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रखा हुआ हैं। इसलिए जहां से जो भी रोजगार की सूचनाएं आती हैं, रोजगार कार्यालय के माध्यम से लोगों को रोजगार हासिल करने का मौका मिलता हैं। इसलिए जो भी जानकारी हमारे पास हैं, जो राज्यवार जानकारी चाही गई है, उसका संकलन करके हमने वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी हैं।

सभापति महोदय, सारी की सारी जानकारी का ऐसेस्मेंट करना निश्चित रूप से कठिन काम हैं। रोजगार कार्यालयों में जो जानकारी संकलित की गई हैं और जिसके बारे में विश्वसनीय रूप से कहा जा सकता हैं, वह जानकारी यहां पर दी गई हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I find it very strange because there are several organisations, including international organisations like the I.L.O. which will give you the projections as to what is happening in various parts of the world. For example, there is an I.L.O. figure which says that the total workforce in urban areas in 1991, in India, was 70 million, and in the year 2021, it would be 200 million. So, there will be a three-fold increase. Now, that is the total workforce. I want to know whether the Govenrment of India is taking any steps, in the light of these projections, about the unemployment problem.

You know the pressure on land in rural areas. You know in cities like Patna and many other cities in the country people come from outside to work on a daily basis in the cities because they cannot possibly survive on the income from the rural areas. The Government must set up some kind of working group,

some kind of specialised agency to look at the projections, to see what the problems are, so that we can generate employment for the people in this country. Does the Government have any plans for that? Please clarify, Mr. Minister.

डा. सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं निश्चित रूप से उनको स्वीकार करने में कठिनाई नहीं हैं। किन्तु इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं उनको रोजगार देने की दृष्टि से क्या करना चाहिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो अधिसंख्य लोग हैं वह गांवों में काम खत्म हो जाने के बादे शहरों में आ जाते हैं। परन्तु जो लोग आते है वह अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर के होते हैं, कोई स्किलनैस उनके पास नहीं होता हैं। उनके पास क्षमता कौशल नहीं होने के कारण निश्चित रूप से उनके लिए रोजगार का मौका कम होता हैं। इसलिए जो शहरी रोजगार की बात है तो शहरी रोजगार में सरकार की योजनाएं चलती होंगी। उन सरकारी योजनाओं में स्वर्ण-जयन्ती की जो योजना बनाई गई है उस आधार पर सारी योजनाओं को एकीकृत करके रोजगार देने का काम सरकार कर रही हैं और इस दृष्टि से शहरी क्षेत्र में रोजगार के जितने अवसर हो सकते हैं उसके लिए जरूरी यह हैं कि उनमें वह स्किलनैस आनी चाहिए, क्षमता-कौशल उसमें विकसित होना चाहिए और उस दृष्टि से भी श्रम मंत्रालय के माध्यम से हम प्रशिक्षण और बाकी योग्यता पैदा करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: Hon. Minister, I just want to place something before you. You are aware of the fact that even highly skilled persons, because of privatisation, globalisation and because of the fast movement of technology, become redundant for job. I know persons who do graduation in information technology,but by the time they pass out, the technology is so advanced that they are unfit for job. Not to speak of skilled areas; even in this sector, there is the problem of unemployment. So, what I want from you is, a specialised agency for assessment by the Government so that schemes can be formulated to redress the grievances of the people. This is all I want, and nothing more than that. Will you make that assessment?

श्री सत्यनारायण जटिया : आपका सुझाव स्वीकार हैं और इस प्रकार के सर्वे करने का काम समय समय पर एन.एस.एस. के द्वारा किया जाता हैं। निश्चित रूप से आपके सुझाव को मान्य करके इस प्रकार की स्थिति को आकलन करने का काम किया जाएगा

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, जब से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई हैं तब से रोजगार का सृजन कम हुआ हैं। 1983 से 1990 तक के आंकड़े बतलाते हैं कि जहां रोजगार सृजन 2.40 सैकड़ा तक था वहां 1990 से 1998 तक के आंकड़े बतलाते हैं कि वह एक सैकड़ा था। यह सार्वजानिक क्षेत्र में भी हुआ है, निजी क्षेत्र में भी हुआ है और असंगठित क्षेत्र में भी हुआ हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात हैं कि शहरों में जो पढ़े-लिखे नौजवान काम के लिए आते हैं, सरकारी क्षेत्र में

भरती पर एक अघोषित प्रतिबंध जारी हैं, कोई भरती नहीं हो रही हैं चाहे रेल हो या अन्य कोई और विभाग हो । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश की गरीबी, बेरोजगारी तथा मन्दी को देखते हुए देश की नई उम्र के लोगों की भरती पर जो रोक सरकारी क्षेत्र में लगी हैं क्या सरकार उस प्रतिबंध को हटाएगी?

सभापति महोदय, मेरा "ख" पार्ट हैं कि जितने असंगठित क्षेत्र हैं या जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आम तौर पर गांव का आदमी काम करने आता हैं। सरकारी क्षेत्रों में तो प्रतिबंध लग गया और गैर सरकारी क्षेत्रों में जहां समाज का दलित, पिछड़ा, आदिवासी बसता है वहां पर कोई भी काम नहीं होता। मंत्री जी ने स्किल्ड लेबर की बात कही हैं। तो क्या उनको स्किल्ड बनाने की कोई योजना बनाएंगे? मेरी तीसरी बात, उसी में पार्ट "ग" यह हैं कि समाज में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कई तरह के लोग है, मर्दो को आमतौर से जितनी मजदूरी दी जाती हैं उसके मुकाबले में महिलाओं को आधी मजदूरी दी जाती हैं और जहां पर बच्चे काम करते है उनको चौथाई मजदूरी दी जाती हैं। बाल श्रम पर हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन बाल श्रम हमारी आर्थिक मजबूरी का प्रतीक है और इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। गाहे-बगाहे हम लोगों ने मांग की हैं और सब लोगों ने मांग की हैं कि जो कोई भी 18 साल का हो जाए या बालिग मताधिकार हासिल कर ले संविधान बदलकर के उसको काम की गांरटी दी जाए। हम समझते हैं कि यह मांग नौजवान देशभर में जगह-जगह पर करते हैं। मै मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी?

डा. सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के विचार वास्तव में बहुआयामी हैं। उन्होने वेतन रोजगार के बारे में पूछा है, उन्होने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में पूछा हैं, उन्होने अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर बनाने के बारे में पूछा हैं, उन्होने बाल श्रम के बारे में पूछा हैं और महिला श्रम को इक्वल रेमुनरेशन, समान वेतन देने के बारे में पूछा हैं निश्चित रूप से रोजगार के अवसर तो सीमित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मोटेतौर पर जो नौकरियां हैं, उनको जितनी नौकरियां मिलनी चाहिएं वह सेचुरेशन पाइंट हो गया हैं। जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी का मामला हैं, निर्माण के काम हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के जो काम हैं, उनमें ये सारे अवसर हैं। आपकी चिन्ता यह हैं कि जो लोग गांव से माइग्रेट होकर आते हैं, उनको रोजगार की दृष्टि से प्रशिक्षण देने की बात हैं तो निश्चित रूप से मेरे मंत्रालय में प्रशिक्षण की दृष्टि से जो लोग आयेंगे, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनके लिए रोजगार देने की दृष्टि से क्या होना चाहिए इस कार्यक्रम पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी 15 अगस्त, 1998 को घोषित किया था कि वह देश में प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने का काम करेंगे। इसके बारे में एक समिति बनाई गई है। उस समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतिक्षा की

जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन सारे कामों को होने के बाद, इन सारी योजनाओं के क्रियान्वित होने के बाद रोजगार की समस्या कुछ न कुछ हल हो सकेगी। यह जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय हैं। उसके बारे में इस सदन को तय करना हैं कि उसके बारें में हम क्या उपाय करें।

श्री सनातन बिसि : सभापति महोदय, उड़ीसा की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। जो लोग गांव से शहरों में रोजगार के लिए आते है, उनके लिए जो पावर्टी इलीविएशन प्रोग्राम है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं हैं मैचिंग ग्रांट करने के लिए इसलिए जो लोग शहर में आ रहे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है । आपने जो मेजर्स अपनी टास्क फोर्स के द्वारा किए हैं, उस टास्क फोर्स में क्या-क्या स्कीम्स हैं? जिस स्कीम में से इन सब चीजों को आप दे सकते है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टास्क फोर्स के किन-किन सजेशन्स को आप इंपलीमैंट कर रहे हैं जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके।

डा. सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, टास्क फोर्स के अभी सब-ग्रुप्स बने हैं और उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं। टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद जैसा कि आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट होकर आने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए क्या करना होगा, उनको प्रशिक्षण देने के लिए क्या करना होगा तो जो लोग गांव से शहरों में आते हैं उनको तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता हैं। लेबर आरिएंटिड काम में श्रम की ही आवश्यकता होती हैं और न ऐसे काम में कोई स्किल नहीं लगता है, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही उनकी जरूरत होती हैं। मुझे श्ह कहते हुए प्रसन्नता हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही उनकी जरूरत होती हैं, इन कामों के लिए इस प्रकार के मजदूर आते हैं और केवल वजन उठाने का काम करते हैं । यदि उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए तो उसके बाद वह मेसन का काम करना शुरू कर देंगे और इससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार के कामों में जिनमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं हैं, वर्क प्लेस में ही उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रकार की योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री राघवजी : सभापति महोदय, यह शहरी रोजगार की समस्या बहुत विकराल हैं। वर्तमान में स्थिति और गम्भीर होती जा रही हैं। यहां तक कि जो फर्स्ट क्लास इंजीनियर हैं वह तीन-तीन साल से बेरोजगार घूम रहे हैं तीन-तीन हजार रूपये माहवार की नौकरी करने को तैयार है। एमबीए पास लड़के नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मां-बाप अपना स्वयं का पेट काटकर, अपने खर्च कम करके उनको पढ़ाते हैं, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा हैं। यह समस्या आज की नहीं हैं, पिछले पांच वर्षो की नहीं हैं। 1990 में 1.63 करोड़ बेरोजगार थे,अब 1.80 करोड़ हो गये हैं। इसका मतलब हैं कि आजादी से लेकर अब तक जो नीतियां अपनायी गयी है, उसमें रोजगार प्रदान करने की तरफ दुर्लक्ष्य किया गया हैं। मैं यह जानना चाहता हूं-

वास्तव में यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से कम और प्रधान मंत्री जी से ज्यादा संबधित हैं कि जो एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना आपने घोषित की हैं उसके संबंध में क्या प्रगति है? दूसरा, जो लाइव स्टॉक रजिस्टर्स के आधार पर आप नौकरी देते हैं, मै जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में एम्पलॉमेंट एक्सचेंज के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया?

डा. सत्यनारायण जटिया : सर, माननीय सदस्य ने प्रश्न में चिंता व्यक्त की हैं कि जो लोग शिक्षित हो गये हैं, वह भी बेकार बैठे है। जिन्होने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, वह बेरोजगार हो गये हैं। उनकी चिंता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की हैं- वास्तव में शिक्षा की पद्वति को जॉब ओरिऐंटिड होना चाहिए, यह मांग हमेशा रही हैं। जो व्यक्ति ऐजूकेटिड हो जाता हैं, निश्चित रूप से उसकी योग्यता बढ़ जाती हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर आदि डिग्रिया प्राप्त करने के बाद भी अब रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के आधार पर भी कुछ लोग इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करते थे, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, मकैनिकल इंजीनियरिंग में अधिक संभावनाएं हैं। तो वह दायरे बदलते जा रहे हैं। इस दृष्टि से ऐसे दायरों की अधिक संभावना हैं और जो लोग नयी-नयी शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, उनके लिए अधिक अवसर हैं। जैसा उन्होने कहा हैं कि सरकार ने प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो घोषणा की हैं, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय अहलुवालिया जी की अध्यक्षता में मार्च, 1999 में टास्क फोर्स बनाया गया था और संभावना हैं कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा। उनमें जो सब-ग्रुप बनाए गए थे, उसमें, उन्होने जो चिंताएं व्यक्त की हैं, उन्ही विषयों को लेकर बात की गयी है जिसमें लेंबर फोर्स की ग्रोथ किस प्रकार से हो और श्रमांकलन तथा अनुमान रोजगार की आवश्यकता और अवसर के बारे में एक सब-ग्रुप बना था। दूसरा, सरकरी नीतियां जो कि रोजगार के संबंध में प्रभावित करती हैं, उस प्रकार का एक ग्रुप बना हैं। वोकेश्नल ट्रेनिंग की तीसरा एक ग्रुप बना हैं। इसके अतिरिक्त श्रम की सघनता के बारे में विचार करने के लिए एक ग्रुप बना हैं। इस प्रकार से इसमें जो विचार किया जा रहा हैं, उसमें इन सारी बातों को ऐनालीसिस करके ही विचार किया जा रहा हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐनालीसिस के आ जाने के बाद जो लक्ष्य रखा गया हैं, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं रहेगी।

श्री राघवजी : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया हैं कि पिछले तीन सालों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिलस हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया :सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने लोगों के नाम दर्ज होते हैं, वह सब के सब लोग बेरोजगार हों, ऐसा नहीं हैं। कुछ लोग तो पढ़ते-पढ़ते अपना नाम दर्ज करा देते

हैं जिससे उनकी सीनियॉरिटी बन जाए और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता होती हैं। ऐसे लोगों को, जिनको रोजगार की अपेक्षा होती हैं और जिनका रोजगार के लिए नाम दर्ज होता हैं, उन्हे उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार देने के लिए समय-समय पर बात की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले तीन साल के आंकड़े माननीय सदस्य ने मांगे हैं, उसकी जानकारी मैं उन्हे दूंगा।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the hon. Labour Minister will kindly realise that the information he seeks to furnish to the House neither meets the need of the situation nor gives us the impression that the Ministry of Labour is alive to the magnitude of the staggering problem of unemployment. Since the Labour Ministry has no assessment whatsoever of the actual joblessness in the country, this is a serious weakness on its part. To give jobs is not the job of the Labour Ministry. That is the job of the Governmnt, the Finance Ministry and the Planning Ministry. I do not accuse him of non-performance on that front. However, the paucity of information with the Labour Ministry does not give an indication of the direction. This by itself is a grave failure. I hope the respected, hon. Prime Minister will kindly realise the limitation of information on the part of the nodal Department of his Government.

Sir, my specific question is: (a) whether the hon. Prime Minister, if he will kindly agree to reply, will accept that the problem of unemployment has aggravated in the recent period. I do not want to go into the reasons for this. It has aggravated in the recent period. This is part (a) of my question. Part (b) of my question is: Will the Government let us know the number of employed people who became unemployed because of losing their job in the public sector undertakings which are under the Central Government. I hope the hon. Prime Minister will kindly prefer to reply at least to part (a) of my question.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, इस वास्तविकता से इंकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक कारण हैं, मै उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे है और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, उनके कारण ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है कि उत्पादन बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उनमें सफलता तो मिल रही हैं लेकिन उत्पादन में लगे हुए हाथ कम होते जा रहे हैं। नई टेक्नालॉजी के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई हैं और इस पर सबको मिलकर विचार करना पड़ेग। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने कहीं यह नारा देखा 'Growth without jobs' विकास होगा मगर रोज़गार के अवसर नहीं होंगे तो लोग कहां जाएंगे? जो माल पैदा होगा, उसको कौन खरीदेगा? कितने लोग खरीदने की ताकत रखेंगे? लेकिन अब नई टेक्नालॉजी को भी हम

दरकिनार कर दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रतियोगिता में ठहरना हैं और प्रतियोगिता में हम तभी ठहरेंगे जब समृद्दि बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और तभी रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। विचार तो यह था कि अगर एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा तो बड़े पैमाने पर इससे रोजगारों का सजृन होगा। रोजगार केवल सरकारी क्षेत्र में मिले या सरकारी दफ्तरो में मिले, यह तय करना तो बहुत मुश्किल हैं और इसे तय करना व्यावहारिक भी नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में जरूरत से ज्यादा लोग भरती किए गए थे इसलिए यह निर्णय करना पड़ेगा कि अगर बिना भरती किए हुए काम चल सकता हैं तो चलाने का प्रयास करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा कि नई भरती हुई मगर काम चल रहा हैं। कभी-कभी तो अधिक लोगों के कारण काम नहीं होता है। इसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत हैं। काम करना जिसे "वर्क कल्चर" कहते हैं, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है लेकिन ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो दूरगामी हैं, व्यापक हैं। मैं गुरूदास दासगुप्त जी से सहमत हूं कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का सही आकलन करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत हैं। यदि इसके लिए कोई एजेंसी बनाने की जरूरत हो तो वह भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन तेजी सये आर्थिक विकास के अलावा और कोई शॅर्ट कट नही है, और कोई छोटा रास्ता नहीं हैं जिससे हम रोजगार का सृजन कर लें। तो जो बढ़ती बेरोजगारी है, इसका कई मोर्चो पर हमें सामना करना पड़ेगा और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : इसके लिए यदि अलग प्रश्न हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा परन्तु यदि वे चाहेंगे तो इसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा।

श्री गोविन्दराम मिरी : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा हैं कि बेरोजगारी निश्चत ही चिंता का विषय हैं जिसका कुछ उपाय किया जाना चाहिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस समस्या को देखते हुए उनके पास क्या वृहत् रोजगार एवं श्रम नीति बनाने की कोई योजना हैं? अगर हैं तो वह कब तक लागू की जाएगी और वह बोरोजगारी की समस्या को दूर करने में कहां तक सहायक होंगी? यह मेरे प्रश्न का "अ" भाग हैं। महोदय, मेरे प्रश्न का "ब" भाग यह हैं कि रोजगार चाहने वालो की जो संख्या आपने दी है, इसमं कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं और महिलाओं की संख्या कितनी हैं, यह भी मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

डा. सत्यनारायण जटिया : निश्चित रूप से इस प्रकार के विश्लेषण की जानकारी नहीं हैं किन्तु महिलाओं का रोजगार कार्यालय में दर्ज होने का अनुपात तीन और एक का है। पुरूषों का तीन भाग और महिलाओं का एक भाग हैं। महिलाओं को रोजगार कार्यालयों से जो रोजगार मिलता हैं उसका

अनुपात चार और एक का हैं। इस प्रकार रोजगार पाने वाली महिलाओं का अनुपात चार और एक हैं। आपने श्रम नीति के बारे में कहा हैं निश्चित रूप से सेकेन्ड लेबर कमीशन के बारे में नीति बनाने की दृष्टि से कार्य करना शुरू हो गया और आगामी दो वर्षो में रिपोर्ट आने के बाद उससे कुछ अच्छे सार की बात निकलेगी तो निश्चित रूप से श्रम नीति बनाने का काम हो सकेगा।

† श्री जलालुदीन अंसारी : महोदय, जहां तक बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हैं, मुझे यह कहावत याद आती हैं कि "ज्यो-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया"। अभी तक केन्द्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो योजनाएं चलाई उनसे बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं आई और यह संख्या बढ़ती चली ही गई। अभी हमारे साथी ने कहा कि असंगठित मजदूरों के लिए यह सरकार क्या करना चाहती हैं? उनके लिए कौन सी योजना है, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार की गारन्टी के लिए कौन सी नई कारगर योजना बनाना चाहते हैं? दूसरी ओर कुशल मजदूरों की समस्या हैं। डिग्री होल्डर लोग भी बेरोजगार हैं, टेक्नीकल एज्युकेशन लेने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं। इसका कारण हैं सरकार की उदारीकरण की नीति और निजीकरण की नीति जो लोग रोजगार में हैं उनको भी रोजगार से अलग होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने गोल्डन हैन्ड शेक जैसी योजना बनाई हैं। स्वेच्छा से अपना पैसा लेकर अलग करो। यह तो एक अलग बात हुई लेकिन जो रोजगार के लिए तैयार हैं, कुशल हैं और अकुशल बेरोजगार जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनके लिए जैसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा वे कोई एजेंसी बनाना चाहते हैं। अभी तक कौन सी एजेंसी बनी हैं? जो बनी हैं वह उसको रोकने के लिए कारगर नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि वे कौन सी कारगर एजेंसी बनाना चाहते हैं ताकि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा सकें? इसके बगैर बेरोजगारी की समस्या का समाधान नही हो सकता हैं। हम माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी जानना चाहते हैं कि सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाना चाहते हैं?

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, मैंने प्रारम्भ में ही बताया था जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी एक करोड़ रोजगारों का सृजन प्रति वर्ष किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनेगी, सब कमेटी बनेंगी, उनकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद क्रियान्वित होंगी। कंस्ट्रक्शन के काम में जैसे मकान बनाने का काम है, सड़के बनाने का काम हैं , बांध बनाने का काम हैं, गांवों में छोटे बांध बनाने का काम हैं, इनमें नए-नए लोगों को जोड़ा जाएगा।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, we are grateful to the hon. Prime Minister for the concerned expressed by him. The Prime Minister has rightly diagnosed the disease. But, as a doctor, he has to cure the disease also. We

†Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

share the concern expressed by him. What is happening today? Crores of students are coming out of universities, colleges and schools. They wait for years—four years, five years, etc.—without employment, whether it is in urban areas or in rural areas particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and the people who are living below the poverty line. In every caste there are poor people. The parents make them to study in the colleges thinking that one day they will be helpful to them. Practically, when they are without any employment for years, one day they become restless and depressed. Those people when they do not find any employment, they start getting misled by other people. There are militants, Naxalites and people who are from Dubai in this country. They recruit them. These people will join them because they do not find anything here. In these circumstances, we have to give a serious thought to this problem. What are we doing? What is our policy? I do not blame any Government, whether it is the Congress Government or the N.D.A. Government. What are they doing? In the name of globalisation, in the name of reforms, we are sending these people out. I entirely agree with the Prime Minsiter that this is a very serious matter. I would like to know whether we are going to effect any change in the policy. In the banking sector, these unemployed youths are not given sufficient funds to rehabilitate themselves. Even under the DRI scheme, one per cent of the total advances should be given to them.

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am putting my question, Sir. It is less than that, it is not even one per cent, not even 0.05 per cent. They are not giving even half-a-per cent. Such is the attitude of the banking sector. I would like to know whether the Government is proposing to take steps to look into all these aspects, including the banking sector, and whether it will come forward with some proposal to direct the banking sector to give more funds to the unemployed youth.

डा. सत्यनारायण जटियाः वास्तव मे अब यह प्रश्न श्रम से बैकिंग क्षेत्र में आ गया हैं और निश्चित रूप से जो सवाल हैं, उनके महत्वपूर्ण विचार निष्कर्ष रूप से सामने आए हैं। एक बात जरूर हैं कि एक सीमा तक रोजगार के बारे में, करोबार के बारे में सरकार ही सोचा करती थी। अब इस विषय पर सरकार के साथ-साथ समाज को भी सोचना हैं, सरकार को भी सोचना हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में जो हमारा श्रम बल हैं, जो सबसे बड़ी ताकत हैं, 350 मिलियन श्रम बल हैं, 35 करोड़ का श्रम बल हैं हमारे पास, उसे किस प्रकार से काम में लगाएं, इसके बारे में आपने जो चिंता व्यक्त की निश्चित रूप से उस चिंता में हम सब शामिल हैं और इस दृष्टि से एक

व्यापक कार्य योजना बनाने की शुरूआत हुई हैं, उसके परिणाम आने हैं। ऐसा नहीं हैं कि एक दिन में ये सारी बातें पैदा हो गई। प्रारंभ में हमारे देश मे जब हम विकास की दिशा बढ़ाना चाहते थे तो हमने नये-नये उद्योग धंधे, कारोबार स्थापित करने काम किया और उस वक्त जो रोजगार के कार्यालय थे, जिला रोजगार दफ्तर हैं इसमें उन्होने बहुत बड़ा योगदान दिया हैं। आज भी ये रोजगार कार्यालय दिशा दर्शन का काम करते हैं और इसलिए इन सारी परिस्थितियों से, इनका आपने जिक्र किया, मार्गदर्शन लेते हुए आगे के लिए किस प्रकार रोजगार की योजना को बनाया जाए, इसका एक सर्वागीण चित्र खड़ा करके उसमें से निश्चित दिशा निकालने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपके सुझाव से सहमत हूं।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न श्रम मंत्री जी के लिए ही हैं और यह श्रमिकों के शोषण तथा सम्मान से जुडा हुआ हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बड़ी संख्या मे श्रमिक मजदूर शहरों में आते हैं क्योंकि शहरों में रोजगार है। क्या यहां उन्हें जो निर्धारित मजदूरी हैं, जो केंद्र सरकार ने निर्धारित की हैं वह मजदूरी वे श्रमिक प्राप्त कर रहे हैं?

दूसरे, मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रम कोई अपमान का विषय नही हैं सम्मान का विषय हैं और बड़ी सख्या में जो मजदूर गांव से शहरों में आते हैं उन्हे यहां अपमान सहना पड़ता है और अपमानित होकर यहां जीना पड़ता हैं। इसलिए कम से कम आप ऐसी गांरटी जरूर दें कि श्रमिक, जो बड़ी संख्या में शहरों में काम के लिए आते हैं उनका शोषण नहीं हो और सम्मान की जिदंगी जी सके।

डा. सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, शोषण के विरूद्व उनको चिंता है, निश्चित रूप से हम सब को इसकी चिंता हैं। परन्तु जो उन्होने मजदूरी की बात कहीं हैं, वह राज्य सरकारों के अधीन हैं, न्यूनतम मजदूरी वह तय करते हैं और न्यूनतम मजदूरी किस प्रकार से दी जाए, उसके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट है। निश्चित रूप से न्यूनतम मजदूरी के कानून का पालन राज्य सरकारों की सहायता से हो सकेगा। आपने कहा हैं कि गांव से मजदूर चल कर के आता हैं, उसका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिये। उसको रोजगार के किस प्रकार से अवसर मिल सकें, उसको कौन से कारोबार में जाना हैं, इस प्रकार का कोई निर्धारण या मार्गदर्शन हो सके, निश्चित रूप से इन बातों से आगे आने वाले समय में बहुत सहायता मिलने वाली हैं। आपकी चिंता इस प्रकार की है कि जो गांव से मजदूर आते हैं उनका सम्मान होना चाहिये। निश्चित रूप से श्रम की प्रतिष्ठा और श्रम का सम्मान होगा तो देश का स्वाभिमान बढ़ेगा और आपने जो सुझाव दिया हैं, वह बहुत अच्छा हैं।

MR CHAIRMAN: Now, next question, 302....*(Interruptions)*...

†**श्री मोहम्मद सलीम :** अनइंपलायमेंट पर चर्चा नहीं होती हैं....(**व्यवधान**).... इस पर डिसकशन होना चाहिये। ...(**व्यवधान**).... यह सरकार के खुद के आंकड़े हैं। ...(**व्यवधान**)....

MR CHAIRMAN: No, no; हो गया ...(**व्यवधान**)....

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मजदूरों का सम्मान राज्य का विषय नहीं हैं, यह देश का विषय हैं। ...(**व्यवधान**)....

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर : जो लोग फालतू स्पीचेंज करते हैं, उनको टाइम देते हैं ...(**व्यवधान**)....

सभापति : जो रिटायरिंग मैम्बर हैं, उनको मैंने टाइम दिया हैं और जो लाइकली आने वाली हैं उनको टाइम नहीं दिया। ...(**व्यवधान**).... Next question, 302....*(Interruptions)....There* are thirteen hon. Members who want to seek supplementaries. We have taken 35 minutes. If you want to have a discussion, you can have a discussion, but not today. Thirty- five minutes we have spent on this question...(*Interruptions)* हां, हां, वह ठीक हैं।

SHRI P.N. SIVA: The question is concerned with unemployment. *..(Interruptions)...*

MR CHAIRMAN: Next question, 302 ...*(Interruptions)...*Not *now...(Interruptions)...Ho,* no; Question 302.

*302. *[The Questioner (Shri Shibu Soren) was absent. For answer vide page* 26 *infra.]*

SHRI P.N. SIVA: Sir, it is concerned with the unemployment problem. We should be given a chance...*(Interruptions)...*We should have a discussion on this... *(Interruptions)...*

SHRI MD. SALIM: We will not be satisfied with these figures. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You give notice for a Half-an-Hour *Discussion...(Interruptions)...*Question 303....*(Interruptions)...* Question 303

SHRI AMAR SINGH: Question No. 303...*(Interruptions)...*

SHRI FN. SIVA: Sir, it is a very important issue.

MR. CHAIRMAN: I know it is a very important thing .... *(Interruptions)..Very* important.. .*(Interruptions).* .But we have spent 35 minutes of the Question Hour, and I have tried to give a chance only to the retiring Members...*(Interruptions)....*Question 303....*(Interruptions)...*Question 303.

† Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

SHRI AMAR SINGH: Question 303...*(Interruptions)...*

श्री सभापति : जो रिटायरिंग मैम्बर हैं, उनको मैंने टाइम दिया है और जो लाइकली आने वाली है उनको टाइम नहीं दिया।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is the reasonl...(Interruptions)...

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: The Chairman must give a directive for....*(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I think the words used by Mr. Bhunder फालतू लोगों को देते हैं"are very derogatory words. He must withdraw those words.

SARDAR BALWINDER SINGH BHUNDAR: Sir, I withdraw the words.

MR. CHAIRMAN: मैम्बर कोई फालतू नहीं हैं।Everyone is honourable.

OBC Certificates to Children of Group A and B Officers

*303 SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the children of Group A officers from O.B.C, are treated in the category of creamy layer and denied benefits of O.B.C, reservation;

(b) whether Government are aware that the children of Group B officers and even of Assistants are not issued O.B.C, certificates on account of their salary income which exceed the limit of Rs. 1 lakh per annum;

(c) if so, whether Government propose to issue instructions to the S.D.M. etc. to issue certificates to the wards of such persons holding the posts of Group B and down below; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING AND DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) to (d) A statement is placed on the Table of the House.

(a) and (b) Under the existing policy of reservation for OBCs, childran of Group "A' officers, of Group "B' Officers who get into Group "A" at the age of 40 years or earlier and of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or